| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
| --- | --- | --- |
| 1/3/17 | वकीलों के हड़ताल के कारण पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 8/3/17 को पेश हो। Riy | |
| 8/3/17<br>[illegible] No Instruction<br>8/3/17 | वकील फरीकैन उप./ वकील वादी के मार्फत [illegible]<br>8/3, वकील फरीकैन उप./ वकील प्रतिवादीगण ने बाद [illegible] में No Instruction Plead किया है, इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 15/3/17 को पेश हो। | |
| 15/3/17 | वकील फरीकैन उप./ वादीया [illegible] शपथ पत्र [illegible] [illegible] दिनांक 27/3/17 को पेश हो। Riy | |
| 27/3/17 | वकील फरीकैन उप./ [illegible] वास्ते बहस दिनांक 19/4/17 को पेश हो। Riy | |
| 19/4/17 | वकील फरीकैन उप./ बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 26/4/17 को पेश हो। Riy | |
| 26/4/17 | वकील फरीकैन उप./ [illegible] वादीया [illegible] है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] हो। Riy | |

# न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री [illegible] (आर0ए0एस0) उप जिला कलक्टर सपोटरा

| क्रमांक | किस्म | प्रस्तुति दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 53/16 | दावा | 23.11.2016 | 26.04.2017 |

## मुकदमा

पुरका पत्नि मोहरीलाल उम्र 60 साल जाति मीणा निवासी डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)। —वादीया

## बनाम

1. गिर्राज पुत्र प्यारेलाल
2. पप्पू
3. हरकेश
4. दिनेश

पि0 गिर्राज

समस्त जातियान मीणा निवासीयान डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

[illegible] —प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "वादीया ने उपरोक्त धारा के तहत एक दावा पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 759 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसका दीगर किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण जबरजोर एवं लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है और वादीया 70 वर्ष की वृद्ध है। वादीया की शारीरिक कमजोरी को देखते हुए प्रतिवादीगण जबरन उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 22.11.2016 को जब वादीया उक्त खेत की जुताई कर रही थी तो प्रतिवादीगण ने एलानिया यह कहा कि तेरे जुताई करने से क्या होगा हम ताकत के बल पर तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण ने वादीया को जबरन उक्त आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीया के हक हकूकों पर कठोर आघात होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेध आज्ञा से पाबन्द किया जावें।"

वादीया का दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नहीं आये इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादीगण वकील द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर दावा पत्र में भी इन्टरेशन फौक किये जाने के फलस्वरूप प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में वादीया पुरका का शपथ पत्र पेश किया। वादीया वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया गया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम डाबरा सम्वत् 2071–2074 वादीया विवादित आराजी की रिकार्डेड सेपरेट खातेदार है जिसे अपनी खातेदारी

[illegible]

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आो० 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपजिलाधिकारी सपोटरा (करौली)
व इजलास श्री राजपाल यादव RAS उपखण्ड अधिकारी सपोटरा (करौली)
पृष्ठपर अंकित है। बनाम

दावा बाबत U/S 188 RTAct.

मुकदमा नं० 73/16 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे
व हाजिरी श्री नेमीचंद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु
मिनजानिबमुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

दावा वादीया डिक्री किया जाकर प्रतिवादी 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीया की सेपरेट खातेदारी भूमि खसरा नं. 759 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मौजा डाबरा तहसील सपोटरा में वादीया के काश्त करने में ना तो स्वयं कोई अवरोध पैदा करे नाही किसी
निज अन्य से करावे। मुबलिग x बावत x
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह x फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक x का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/4/2017 सन् 99 को
जारी की गई।

दस्तखत उप जिला कलक्टर
ओहदा सपोटरा, जिला करौली

मुहर

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुद्दायलह | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबतइजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

नोट—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

... ... सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया गया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम डाबरा सम्बत् 2071–2074 वादीया विवादित आराजी की रिकार्डेड सेपरेट खातेदार है जिसे अपनी खातेदारी

उनवान

नुरका पत्नि जौहरीलाल उम्र 70 साल जाति मीना निवासी
डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज०)।

— वादिया

बनाम

1. गिरिज पुत्र रमेशलाल
2. पप्पू
3. हरकेश
4. विजय

पि० गिरिज

समस्त जाति मीना निवासीयान डाबरा
तह० सपोटरा जिला करौली (राज०)।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act.

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner